मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 16 मार्च, 2023 (फाल्गुन 25, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नकाल में मौखिक उल्लेख

थाना बडगोदा अंतर्गत पुलिस चौकी डोंगरगांव खरगौन में दुखद घटना पर चर्चा की मांग

प्रश्नकाल के प्रारम्भ में डॉ.गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष एवं डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ सदस्य ने उल्लेख किया कि दिनांक 15 मार्च, 2023 डोंगरगांव चौकी, बडगोदा थाना में एक नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार कर हत्या की गई और थाने में मुलजिम पकड़ने के लिये आदिवासी गये तो वहां पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिससे एक आदिवासी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई लोग छर्रे लगने से घायल हो गए. यह घटना कल शाम 6 से 7 बजे की है और रात 10 बजे पुलिस द्वारा दबाव डालने पर और माहौल खराब होने पर पुलिस ने रिपोर्ट लिखी. उसकी मां ने आरोप लगाया है कि बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या की गई है. पुलिस की देखरेख में सुबह 7 बजे दाह संस्कार हुआ है. गृह मंत्री से अनुरोध है कि इस घटना के संबंध में अपना वक्तव्य दें.

डॉ.नरोत्तम मिश्र, गृह मंत्री ने आसंदी के माध्यम से यह मत व्यक्त किया कि इस घटना में एक पक्ष तो नेता प्रतिपक्ष द्वारा कहा गया है और दूसरा पक्ष यह है कि बिटिया जिसके साथ में रहती थी वहां बाल्टी में जब पानी गर्म कर रही थी तो रॉड छूने से करंट लगने पर उसकी दुखद मृत्यु हो गई. लेकिन उसके मायके वालों ने इसे हत्या बताकर जाम लगाया जिस पर पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाने लाया गया, तो आदिवासियों का पूरा समूह थाने आ गया. वे कहने लगे कि हम खुद न्याय करेंगे, उन्होंने थाने में पथराव भी किया जिससे थाना प्रभारी सहित 13 पुलिस जवान घायल हुए. थाना प्रभारी को इंदौर में अस्पताल रैफर किया गया. इसी के बचाव में गोली चलने से यह दुखद घटना घटी है. बिटिया का अंतिम संस्कार हो गया है, मुख्यमंत्री जी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच करने के निर्देश दिए हैं. आज पी.एम. रिपोर्ट से सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी.

श्री कमलनाथ, सदस्य ने उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिये हैं लेकिन इनके 18 वर्ष के शासनकाल में आदिवासी अत्याचार के मामले में मध्यप्रदेश का देश में 13 बार प्रथम स्थान और 5 बार दूसरा स्थान पर रहा है. यह एनसीआरबी के आंकड़े मैं पटल पर रख रहा हूँ. मजिस्ट्रियल जांच तो बहुत होती हैं. पर उसकी आप समय-सीमा तय कर दीजिए. यह हत्या है या आत्म हत्या का मामला है, यह जांच का विषय है. लेकिन इसमें पुलिस फायरिंग की क्या आवश्यकता थी, इसका भी पता लोगों को चलना चाहिए.

आसंदी ने सदन को सूचित किया कि इसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना आज पूर्वाह्न 10.47 बजे प्राप्त हुई है जिस पर शासन से शीघ्र जानकारी प्राप्त की जा रही है.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 2 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1 एवं 2) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 159 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 174 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 967) पर उचित मूल्य दुकानों की आकस्मिक जांच पर चर्चा के दौरान प्रश्नकर्ता सदस्य की उपस्थिति में जांच समिति में शामिल करने की मांग को लेकर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 11.32 बजे से 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.46 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की विधानसभा क्षेत्र महिदपुर के अंतर्गत तहसील झारड़ा में नवीन विश्राम ग्रह का निर्माण किये जाने,

(2) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की ग्राम कुशलगढ़ से ग्राम आकतवासा की अत्यंत जर्जर सड़क मार्ग को सुधरवाये जाने,

(3) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की भ्रूण हत्या रोकने हेतु पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट के तहत कलेक्टरों को दिये गऐ अधिकार वापस लेने,

(4) डॉ. अशोक मर्सकोले, सदस्य की रीवा जिले की तहसील हुजुर ग्राम सगरा पडरिया में स्थापित कराये जा रहे प्लांट के कारण वहां के निवासियों का गंदगी और बदबू से जीना मुश्किल होने,

(5) श्री शरद जुगलाल कोल, सदस्य की शहडोल जिले की जनपद पंचायत ब्यौहारी में संचालित शासकीय हायर सेकेंड्री स्कूल पथरेही व शासकीय हाई स्कूल साखी तक जाने हेतु रोड निर्माण न कराये जाने,

(6) श्री मनोज चावला, सदस्य की विधानसभा क्षेत्र अलोट अंतर्गत ग्राम बन्नाखेडा में बंद पड़े पशु चिकित्सालय भवन निर्माण के कार्य को पुन: शुरू न कराये जाने,

(7) श्री संजय यादव, सदस्य की प्रदेश की सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा संस्थापक सदस्यों को भूखण्ड नहीं दिये जाने,

(8) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार, सदस्य की जिला मुरैना की जौरा विधान सभा क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि से किसानों की फसलों के हुए नुकसान का मुआवजा का सर्वे न कराये जाने,

(9) श्री राजेन्द्र शुक्ला, सदस्य की म.प्र. के सीमावर्ती संभागीय मुख्यालय शहडोल स्थित प.एन. शुक्ल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर पं. शंभूनाथ शुक्ला के नाम से किये जाने,

(10) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य की कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विजय राघवगढ़ बरही से झपावन नदी एवं घुनौर से खिरवा के मध्य पुल का निर्माण कराये जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

4. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) पंधाना विधान सभा क्षेत्र में घाट बनाये जाने पर राशि का दुरूपयोग किया जाना

डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि खण्डवा जिले के पंधाना विधान सभा क्षेत्र में लगभग 25 करोड़ की लागत से जंगलों में गड़डो में और पहाड़ों पर घाट बना दिये हैं और राशि का दुरूपयोग किया गया है. पंचायत मंत्री इसकी जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करें.

(2) सागर सहित प्रदेश के अनेक स्थानों में बिजली कटौती होना

श्री हर्ष यादव, सदस्य ने उल्लेख किया कि सागर सहित प्रदेश में 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं और किसानों को पानी की जरूरत है परन्तु ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली कटौती की जाना और ट्रांसफार्मर उतारे जाने से जनता में बेहद आक्रोश है. बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शासन बिजली की सुगम उपलब्धता हो सुनिश्चित करें.

(3) माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित 10वीं एवं 12वीं परीक्षाओं के प्रश्न पत्र की गोपनीयता भंग होना

श्री तरूण भनोत, सदस्य ने उल्लेख किया कि 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और उनके पेपर लीक हो रहे हैं जो कि निंदनीय कृत्य है. इससे शिक्षा व्यवस्था गर्त में जा रही है. शासन जिम्मेदार लोगों पर तत्काल कार्यवाही करे.

(4) अशोक नगर के करेला धाम में नृत्यांगनाओं का एच.आई.व्ही. टेस्ट कराया जाना

श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि अशोक नगर में रंग पंचमी पर 11 नृत्यांगनाओं का करेला धाम पर एच.आई.व्ही. टेस्ट कराया था. यह प्राचीन धाम है जहां पर लव एवं कुश भगवान का जन्म हुआ था. वहां महिलाओं का ही अपमान नहीं हुआ है बल्कि वहां जाने वाले श्रद्धालुओं पर गलत संदेश गया है. महिला बोर्ड ने भी कलेक्टर से इस संबंध में जानकारी मांगी है. माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध है कि इस बारे में स्पष्टीकरण दें.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा ने उनके विभाग की अधिसूचना दिनांक 6 जनवरी, 2023 पटल पर रखी.

6. ध्यानाकर्षण

(1) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य ने सीधी जिले के बहरी-हनुमना सड़क पर पुल क्षतिग्रस्त होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री गोपाल भार्गव ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) श्री दिनेश राय, सदस्य ने सिवनी जिले के पेंच व्यपवर्तन अंतर्गत नहरों का निर्माण न किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री तुलसीराम सिलावट ने चर्चा का उत्तर दिया.

7. आवेदनों की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा आवेदन प्रस्तुत हुए माने गए :-

(1) श्री पी.सी. शर्मा (जिला-भोपाल शहर)
(2) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी (जिला-दमोह)
(3) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(4) श्री पहाड़ सिंह कन्नौजे (जिला-देवास)
(5) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)
(6) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(7) श्री शरद जुगलाल कोल (जिला-शहडोल)
(8) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(9) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(10) श्री निलय विनोद डागा (जिला-बैतूल नगर)
(11) श्री मुकेश रावत (पटेल) (जिला-अलीराजपुर)
(12) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(13) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
(14) श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
(15) श्री रामपाल सिंह (जिला-रायसेन)
(16) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर शहर)
(17) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(18) श्री आरिफ मसूद (जिला-भोपाल शहर)
(19) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला-छतरपुर)
(20) श्री तरबर सिंह (जिला-सागर)
(21) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(22) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(23) श्री रामचंद्र दांगी (जिला-राजगढ़)
(24) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(25) कुं. रविन्द्र सिंह तोमर (जिला-भोपाल शहर)
(26) श्री राज्यवर्धन सिंह (जिला-राजगढ़)
(27) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(28) श्री नीरज विनोद दीक्षित (जिला-छतरपुर)
(29) श्री अनिरुद्ध 'माधव' मारू (जिला-नीमच)

8. वर्ष 2022-2023 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि –

"दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 40, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54 एवं 55 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर सोलह हजार तीन सौ उनतीस करोड़, पचास लाख, छह हजार, नौ सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए.".

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

9. शासकीय वक्तव्य

डॉ. नरोत्तम मिश्र, गृह मंत्री ने दिनांक 15 मार्च, 2023 को जिला इंदौर के थाना बडगोदा अंतर्गत पुलिस चौकी डोंगरगांव में हुई दु:खद घटना के संबंध में वक्तव्य दिया.

10. गर्भ गृह में प्रवेश
इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश

डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ, सदस्य के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा थाना बड़गोदा अंतर्गत पुलिस चौकी डोंगरगांव में घटित घटना पर शासन के जवाब से असंतुष्ट होकर गर्भ गृह में प्रवेश किया गया एवं नारेबाजी की गई.

11. बहिर्गमन

डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

12. वर्ष 2022-2023 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि सदन की लाबी में भोजन की व्यवस्था की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री तरूण भनोत
(2) श्री बहादुर सिंह चौहान

सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र वर्मा) पाठासीन हुए.

(3) श्री पी.सी. शर्मा
(4) डॉ. सीतासरन शर्मा
(5) श्री कमलेश्वर पटेल
(6) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
(7) सुश्री हिना लिखीराम कावरे
(8) श्री आशीष गोविन्द शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(9) श्री विनय सक्सेना
(10) श्री देवेन्द्र वर्मा
(11) श्री संजय यादव
(12) श्री कुणाल चौधरी
(13) श्री जालम सिंह पटेल
(14) श्री महेश परमार
(15) श्री देवीलाल धाकड़
(16) श्री नारायण सिंह पट्टा

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अनुपूरक अनुमान की मांगों पर सदन का मत लिया गया.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2023 (क्रमांक 5 सन् 2023) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2023 (क्रमांक 5 सन् 2023) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

सभापति महोदय (श्री हरिशंकर खटीक) पाठासीन हुए.

14. वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों पर मतदान.

(1) श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को –

अनुदान संख्या – 1	सामान्य प्रशासन के लिए नौ सौ बीस करोड़, छप्पन लाख, अट्ठानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 2	विमानन के लिए दो सौ छप्पन करोड़, पंचानवे लाख, अट्ठानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए दस हजार एक सौ नवासी करोड़, उनसठ लाख, अठारह हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 32	जनसम्पर्क के लिए सात सौ करोड़, उनतीस लाख, पांच हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 41	प्रवासी भारतीय के लिए छियासी लाख, तैंतीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 45	लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन के लिए एक सौ चालीस करोड़, छिहत्तर लाख, तेरह हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 48	नर्मदा घाटी विकास के लिए तीन हजार आठ सौ पैंसठ करोड़, तिरासी लाख, बीस हजार, रुपये,
अनुदान संख्या – 55	महिला एवं बाल विकास के लिए चौदह हजार छह सौ छियासी करोड़, अड़तीस लाख, आठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 57	आनंद के लिए सात करोड़, दो हजार, रुपये,

तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री कमलेश्वर पटेल
(2) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(3) सुश्री हिना लिखीराम कावरे
(4) श्री शैलेन्द्र जैन
(5) डॉ. अशोक मर्सकोले

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(6) श्री बहादुर सिंह चौहान
(7) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव
(8) श्री संजय यादव (चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 5.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 2023 (26 फाल्गुन, शक सम्वत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 16 मार्च, 2023